

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली  
पीठासीन अधिकारी:- श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या:- (15)<sup>6</sup>/2018

प्रार्थी:-

1. नरपतसिंह पुत्र जयसिंह
2. परबतसिंह पुत्र जयसिंह,
3. शैतानसिंह पुत्र जयसिंह,  
गुलाबसिंह पुत्र जयसिंह,  
जातिगण राजपूत,  
निवासीगण बिरोलिया,  
बाली जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण:-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली
  2. डुंगरसिंह पुत्र हंनवतसिंह, जाति राजपूत, निवासी बिरोलिया, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)
  3. स्वर्गीय राजुसिंह व भँवरकँवर पत्नि राजुसिंह के कायम मुकाम वारिसान्
- 3/1. स्वर्गीय अमरसिंह पुत्र राजुसिंह के कायम मुकाम
- 3/1/1. स्वर्गीय अचलसिंह पुत्र स्वर्गीय अमरसिंह के कायम मुकाम
- 3/1/1/1. तेजपालसिंह पुत्र अचलसिंह
- 3/1/1/2. तनेसिंह पुत्र अचलसिंह
- 3/1/1/3. गोविन्दसिंह पुत्र अचलसिंह
- 3/1/1/4. डिम्पलकँवर पुत्री अचलसिंह
- 3/1/1/5. हर्षकँवर पत्नि अचलसिंह
- 3/1/2. रणजीतसिंह पुत्र अमरसिंह
- 3/1/3. स्वर्गीय महावीरसिंह पुत्र अमरसिंह(लाऔलाद फौत)
- 3/1/4. कैलाशकँवर पुत्री अमरसिंह
- 3/1/5. हेमाकँवर पुत्री अमरसिंह
- 3/1/6. गुलाबकँवर पत्नि अमरसिंह
- 3/2. हनमंतसिंह पुत्र राजुसिंह के कायम मुकाम वारिसान्
- 3/2/1. स्वर्गीय प्रतापसिंह पुत्र हनमंतसिंह के कायम मुकाम वारिसान्
- 3/2/1/1 शिशुपालसिंह पुत्र स्वर्गीय प्रतापसिंह
- 3/2/1/2 रेखा कँवर पुत्री स्वर्गीय प्रतापसिंह
- 3/2/1/2 शोभा कँवर पुत्री स्वर्गीय प्रतापसिंह
- 3/2/1/3 गुडीया कँवर पुत्री स्वर्गीय प्रतापसिंह
- 3/2/1/4 सम्पतकँवर पत्नि स्वर्गीय प्रतापसिंह
- 3/2/2. डुंगरसिंह पुत्र हनमंतसिंह
- 3/2/3. स्वर्गीय शैतानसिंह पुत्र हनमंतसिंह के कायम मुकाम वारिसान्
- 3/2/3/1. अनीलसिंह पुत्र शैतानसिंह



श्री राधेश्याम (सीलिंग)  
पाली (राज.)

3/2/3/2. योगेन्द्रसिंह पुत्र शैतानसिंह  
 3/2/3/3. असन्न कँवर पुत्री शैतानसिंह  
 3/2/4. मेमाकँवर पुत्री हनमंतसिंह  
 तमाम जातियान राजपूत, निवासीगण बिरोलिया,  
 तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

उपस्थिति:-

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी अभिभाषक अपीलान्टस् की ओर से
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट संख्या 1 की ओर से

### अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

-:निर्णय:-


दिनांक

दिनांक : 24/3/2022

वकील अपीलान्ट के द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरण संख्या 55 दिनांक 15.03.1997 के विरुद्ध प्रस्तुत की। अपील अपीलान्ट म्याद बाहर होने से धारा 05 परिसीमा अधिनियम एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश होने पर अपील अपीलान्ट सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेण्ट जरिये सम्मन तलब किये गये। उक्त अपीलाधिन म्यूटेशन के संबध मे पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2002 आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई थी। इस आदेश के विरुद्ध रेस्पोजेण्ट डुंगरसिंह द्वारा उक्त संभागिय आयुक्त जोधपुर में अपील संख्या 64/2002 पेश की तथा स्वंय को पिटिस पक्ष बताया डुंगरसिंह की अपील दिनांक 14.05.2013 को स्वीकार की गई तथा प्रकरण इस न्यायालय को सुनने हेतु पुनः प्रतिपेक्षित किया तथा अपर न्यायालय के निर्देशों की पालना में अपील पुनः दर्ज की गई व रेस्पोजेण्ट को पक्षकार बनाकर नोटिस आवश्यक पक्षकारान् को जारी किये गये। व अपील बाद तामील के बहस हेतु मुकर्रर की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं दोनो पक्षकारान् की बहस सुनी गई


वकील अपीलान्ट ने अपील में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये जाहिर किया की दिनांक 03.03.1966 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाण ग्राम बिरोलिया की सीमा में स्थित खसरा संख्या 126 रकबा 5.08 हैक्टर (पुराने खसरा संख्या 97) किस्म बारानी की भूमि भँवरकँवर से खेताभाई पुत्र भाणजी भाई द्वारा खरीद की गई थी तथा उक्त भूमि को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.07.1992 को खेताभाई पुत्र भाणजी भाई जाति पटेल, निवासी बिरोलिया, तहसील बाली से खरीद की थी। बाद खरीद के खेता भाई के नामांतरण को स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट व बैचाणकर्ता खेताभाई का नाम खातेदारी में दर्ज रहा। अपीलान्ट द्वारा भूमि खेताभाई से खरीद की गई तथा तत्पश्चात् लगातार सन् 1997 तक खेताभाई व अपीलान्ट का कब्जा काश्त रहा है। तथा उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर पुराना 97 थे। उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में जागीरदार राजुसिंह व उसकी पत्नि भँवरकँवर बिरोलिया की कृषिभूमि बाबत् सिलिंग केस संख्या 258/70 जिसके पति श्री राजुसिंह के प्रकरण संख्या



जिला अधिवक्ता (सिलिंग)  
 पाली (राज.)

60/70 की संयुक्त रूप से तारीख 14.12.1978 को निर्णित किया, जिसमें उक्त खातेदारी बैचाण को वैध मान्य किया गया। राज्य सरकार द्वारा अपील की गई जो अस्वीकृत हुई तथा राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अपील संख्या 38/95 दिनांक 14.11.1996 को निर्णित की गई। जिसमें 06 स्टेण्डर्ड एकड भूमि राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण करने का आदेश पारित किया गया। परन्तु उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय में श्रीमति भेंवर कॅवर द्वारा विक्रय की गई भूमि के बैचाण को अमान्य नहीं किया गया। जिसके उक्त पुराने खसरा संख्या 97 की खातेदारी क्रेतागण के पक्ष में यथावत रही। तथा उपखण्ड अधिकारी बाली के सिलिंग प्रकरण संख्या 258/70 के निर्णय के पेज संख्या 4 पर न्यायालय की ओपीनियन दर्ज शुदा है। उक्त निर्णय द्वारा दिनांक 03.03.1966 का बैचाण विधि मान्य माना गया। इसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कही पर भी अपील नहीं की गई। तथा उक्त आदेश आज भी प्रभाव में है तथा विधि मान्य आदेश होने के कारण अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार है तथा अनचैलेन्ज है।

रेस्पोडेन्ट तहसीलदार बाली ने नये खसरा संख्या 126 रकबा 2.48 हैक्टयर की भूमि बाबत नियमानुसार जाँच किये बगैर दिनांक 15.03.1997 को सिवायचक खाते में दर्ज कर लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में क्षेत्राधिकार शुन्य कर दिया गया। चूकिं उक्त खातेदारी भूमि अपीलान्ट के खातेदारी की थी जो धारा 30 ई की उप धारा (6) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत अधिग्रहण योग्य भूमि नहीं थी। राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय अपील संख्या 38/95 में दिनांक 14.11.1996 को पारित किया गया था, राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय की पालना में उपखण्ड अधिकारी बाली को जागीरदार राजुसिंह व इसकी पत्नि भेंवरकॅवर की भूमि आवाप्त कर राजसात करनी थी व इसकी पालना के लिये तहसीलदार को तहरीर जारी की। तहसीलदार द्वारा नामांतरण संख्या 55 के जरिये अपीलान्ट की भूमि सिवाय चक की, जिसका विरोध आवेदन उपखण्ड अधिकारी पाली में पेश किया जो दिनांक 10.03.1997 को खारिज किया। इसमें निर्देशित 06 स्टेण्डर्ड एकड भूमि का अधिग्रहण विधि विरुद्ध अपीलान्ट की भूमि का करने के विरोध में राजस्व अपील अधिकारी समक्ष अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 30.05.2000 को समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्णय पारित किया। इस कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है। चूकिं अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि हटाकर नामांतरण सिवाय चक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा क्षेत्राधिकार विहीन व शुन्य स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट की भूमि सिलिंग प्रभावित भूमि नहीं थी व हक अधिकार कब्जा विवाद रहित था। स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 55 शुन्य था। इसलिये अपील में हुई देरी कन्डोन करने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर उक्त नामांतरण खारिज करने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि सिलिंग भूमि बाबत प्रकरण संख्या 258/70 में बैचाण विधिमान्य होने के बाद जागीरदार का कोई हक व अधिकार नहीं था तथा डुंगरसिंह द्वारा अतिरिक्त संभागिय आयुक्त में जो अपील की गई यह विधि विरुद्ध है। राजस्व अपील अधिकारी पाली के यहाँ अपील संख्या 38/95 पेश हुई व इसका आदेश दिनांक 14.11.1996 को हुआ, इस निर्णय से भी अपीलान्ट की भूमि सिलिंग प्रभावित नहीं रही है, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी बाली का दिनांक 14.12.1978 के निर्णय से अपीलान्ट की भूमि सिलिंग प्रभावित नहीं है। उपखण्ड अधिकारी बाली व राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय की पालना में सिलिंग प्रभावित भूमि जो जागीरदार की अन्य भूमि थी उस भूमि में ऑफशन दिया जाकर भूमि को राजसात की जानी



पाली जिला न्यायालय (सिलिंग)  
पाली (राज)

चाहीये थी। परन्तु अपीलान्तिन म्यूटेशन पारित कर अपीलान्ति की भूमि को सिवाय चक दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। चकिं जब पुराने खसरा संख्या 97 की भूमि जिसके नये नम्बर 126 व अन्य बने इस भूमि को सिवाय चक दर्ज करने का अधिकार नहीं था व इस संबध में अपीलान्ति द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपना आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था परन्तु इस पर तव्वजो नहीं देकर दिनांक 10.03.1997 को अपीलान्ति की भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा दिनांक 30.05.2000 को आदेश पारित कर अपीलान्ति को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के निर्देश पारित किये गये थे व इसकी पालना में ही अपीलान्तिन म्यूटेशन को चैलेन्ज किया है। राजस्व अपील अधिकारी पाली का आदेश दिनांक 30.05.2000 में उपखण्ड अधिकारी बाली का आदेश दिनांक 10.03.1997 मर्ज हो चुका है। इस कारण राजस्व अपील अधिकारी पाली के आदेश दिनांक 14.11.1996 अपील संख्या 38/95 का सहारा लेकर आपत्ती करने का अधिकार रेस्पोजेन्ट को नहीं है।


अधिवक्ता अपीलान्ति द्वारा अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ति के खातेदारी अधिकार सन् 1966 से है व 1997 तक लगातार जमाबंदी में नाम रहा है म्यूटेशन संख्या 55 क्षेत्राधिकार विहिन स्वीकृत किया गया है तथा अपीलान्ति के पंजियन बैचाण के अविधिमान्य नहीं होने के बाबत् कोई आदेश पारित नहीं था उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा अपीलान्ति की भूमि अपीलान्ति को बिना सुने सिवाय चक दर्ज करने बाबत् आदेश पारित किया गया था, इस तरीके से पारित म्यूटेशन प्रारंभ से ही शुन्य है व अपीलान्ति को जानकारी होने पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई व राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 30.05.2000 द्वारा भी अपीलान्ति को कार्यवाही करने के लिये निर्देश पारित किये गये थे इस कारण से अपीलान्ति द्वारा जानकारी से जो अपील पेश की गई है यह अन्दर मयाद है। अपीलान्ति अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया की म्यूटेशन संख्या 55 अपीलान्ति को बिना सुनवाई के स्वीकृत किया गया है इस पर म्याद का प्रश्न आडे नहीं आता है तथा पारित म्यूटेशन प्रारंभ से ही शुन्य व अवैध है व जानकारी से जो अपील पेश की गई है यह अन्दर मयाद है। अपीलान्ति द्वारा जानबुझ कर लापरवाही नहीं करती है। इस कारण से अपील को अन्दर मयाद मानी जावे। अपीलान्ति द्वारा हमारे समक्ष आर.आर.टी. 2002 वाल्युम एक पेज संख्या 257, आर.आर.डी. 19994 पेज संख्या 606, आर.आर.डी 1989 पेज संख्या 45, आर. आर. टी. 2011 (2) पेज संख्या 829 के दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

अधिवक्ता अपीलान्ति द्वारा बहस करते हुये यह निवेदन किया कि अपील को जानकारी से युक्तियुक्त समय में प्रस्तुत कर दिया गया है तथा म्यूटेशन संख्या 55 जो अपीलान्ति की खातेदारी भूमि का स्वीकृत कर सिवाय चक दर्ज की है, इस म्यूटेशन को खारिज कर अपीलान्ति के नाम पुनः म्यूटेशन दर्ज किया जावें।

सरकारी पैरोकार ने अपील बहस में जाहिर किया की उक्त भूमि सिलिंग प्रकरण में अधिग्रहण योग्य होने से तहसीलदार बाली ने भूमि अधिग्रहण कर सिवाय चक दर्ज की है। अतः पारित नामांतरण को खारिज नहीं किया जा सकता है।

अन्य रेस्पोजेन्ट के अधिवक्ता अनुउपरिथत है व उनकी और से कोई उपस्थित नहीं आया है।

हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी, रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 03.03.1966 के जरिये खेताभाई व दानजीभाई द्वारा जागिरदार की पत्नि भँवर कँवर से भूमि खरीद की गई तथा इन दोनो के नाम




जिलाधिकारी (सिलिंग)  
पाली (राज)

म्यूटेशन स्वीकृत होकर दर्ज हुआ। तथा जमाबंदी में नाम दर्ज है तथा उपखण्ड अधिकारी बाली के सिलिंग प्रकरण संख्या 258/70 का निर्णय दिनांक 14.12.1978 को हुआ, इस निर्णय के द्वारा पुराने खसरा संख्या 97 की भूमि खेताभाई व दानाभाई को बैचाण हस्तांतरण की इस बैचाण को विधि मान्य माना गया तथा उपखण्ड अधिकारी बाली के उक्त आदेश को कही भी चैलेन्ज किया हुआ नहीं है तथा उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। तथा भूमि बैचाण होना व सिलिंग प्रकरण संख्या 258/70 का निर्णय होकर उक्त निर्णय निर्विवाद होना पत्रावली से स्पष्ट है तथा खसरा संख्या 97 के नये खसरा संख्या 126 व अन्य खसरा संख्या बने हैं जो भी निर्विवादित है तथा खसरा संख्या 97 के नये खसरा संख्या 125, 126, 131, 134 कायम हुये जो खसरा मिलान से स्पष्ट है। उक्त अपील खसरा संख्या 126 के संबंध में है। इस कारण से खातेदारी अधिकार अपीलान्ट के निर्विवाद है यह स्पष्ट है। तथा खसरा संख्या 97 सिलिंग प्रकरण में प्रभावित भूमि होने व खसरा संख्या 97 के दानाभाई व खेताभाई पंजियन बैचाण विधिमान्य माने गये जिसकी कई अपील भी नहीं हुई है। इस कारण से अपीलान्ट का नाम खातेदारी से हटाकर म्यूटेशन स्वीकृत करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं था। जागीरदार राजुसिंह व उसकी पत्नि भँवरकँवर की जो अन्य भूमि बाबत् सिलिंग प्रकरण से 258/70 व 60/70 के संबंध में अपील राजस्व अपील अधिकारी पाली में की गई व इस अपील के दिनांक 14.11.1996 को अपील संख्या 38/95 की पालना में भूमि राजसात की जानी थी तो उक्त भूमि जागीरदार की भूमि में से ही प्राप्त कर सिवायचक दर्ज की जानी चाहीये थी। इस कारण से जो म्यूटेशन संख्या 55 पारित किया गया है यह विधि अनुसार नहीं है तथा अपीलान्ट की भूमि के जागीरदार राजुसिंह के वारिस पिंडित पक्ष नहीं है तथा जागीरदार के वारिस होने के नाते विधिमान्य बैचाण होने से आपत्ती करने का व ऑफशन में अपीलान्ट की भूमि सरेण्डर करने का अधिकार जागीरदार राजुसिंह के वारिसों को नहीं था तथा तहसीलदार बाली को भी इस बात की बंधुषी जानकारी थी की अपीलान्ट भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने योग्य नहीं थी परन्तु सिवायचक दर्ज करने का म्यूटेशन संख्या 55 पारित कर दिया गया। हमारे द्वारा अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा म्याद के संबंध में प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किया गया। हमारा मत है कि जो भूमि दानजीभाई व खेताभाई की थी व अपीलान्ट की है। इनको बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना नोटीस दिये, म्यूटेशन संख्या 55 के जरिये नाम हटा दिया गया। उक्त म्यूटेशन की अपीलान्ट को जानकारी होने पर उक्त अपील पेश की है जानकारी के बाद अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी बाली, राजस्व अपील अधिकारी पाली के यहाँ कार्यवाही भी की है। इस कारण से उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रस्तुत अपील को अन्दर अवधी में जानकारी से प्रस्तुत होना मानकर अपील को मेरीट पर निस्तारित करते हैं।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 30ई की उपधारा 06 के अन्तर्गत अपीलान्ट स्वतन्त्र खातेदार कृषक थे, उक्त भूमि बाबत् भूतपूर्व जागीरदार राजुसिंह व उसकी पत्नि भँवरकँवर की भूमि नहीं रही व पंजिबद्ध विक्रयपत्र भी विधिमान्य रहा है। राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 14.11.1996 की पालना में तहसीलदार बाली को 06 स्टैडर्ड एकड भूमि जागीरदार की भूमि में से आवाप्त किया जाना चाहीये था व विधि विरुद्ध तरीके से अपीलान्ट की भूमि को आवाप्त कर सिवाय चक दर्ज करने का म्यूटेशन स्वीकृत किया गया, इस पारित म्यूटेशन को हम अविधिमान्य होना निर्णित करते हैं। तथा अपीलान्ट के नाम पुनः म्यूटेशन स्वीकृत

जि. वि. क. नं. (सीलिंग)  
पाली (राज)

किये जाने बाबत तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश पारित करते हैं कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर नये सिरे से म्यूटेशन आदेश पारित करे। म्यूटेशन संख्या 55 दिनांक 15.03.1997 अपास्त किया जाता है। राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 14.11.1996 की पालना में जागीरदार राजसिंह व उसकी पत्नि भँवरकँवर की भूमि में से भूमि आवाप्त करने हेतु स्वतंत्र है।



अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाली को इन निर्देशों के साथ पुनप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट की भूमि सिलिंग प्रभावित भूमि नहीं रहने से म्यूटेशन संख्या 55 दिनांक 15.03.1997 को अपास्त किया जाता है, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 14.11.1996 की पालना में तहसीलदार बाली जागीरदार राजसिंह व उसकी पत्नि भँवरकँवर की भाररहित भूमि में से सिलिंग प्रकरण में आवाप्त करने के लिये तहसीलदार बाली स्वतंत्र है। उक्त आदेश की प्रति तहसीलदार बाली को पालनार्थ भेजी जावे।

*afm*  
जिला कलेक्टर (सीलिंग)  
पाली (राज)

यह आदेश आज दिनांक 24/3/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*afm*  
जिला कलेक्टर (सीलिंग)  
पाली (राज)